

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 21 JUL 2016 जुलाई, 2016

एफ 2-61/सात-2/2016 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित वाहन चालक को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित स्थान से कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार धृतलहरे, वाहन चालक	अनुविभागीय अधि. (राजस्व) सूरजपुर जिला सूरजपुर	कार्या. अनु. अधि.(रा.) डभरा, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री पूनम चंद साहू, वाहन चालक	तहसील कार्यालय कुरुद, जिला धमतरी	जिला दुर्ग (कलेक्टर के विकल्प पर)	स्वयं के व्यय पर
3.	श्री विजय कुमार यादव, वाहन चालक	कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़	कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर	स्वयं के व्यय पर (आपसी सहमती)
4.	श्री निलाम्बर यादव, वाहन चालक	कार्यालय कलेक्टर, जिला जशपुर	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय पर (आपसी सहमती)

2/ उपरोक्त सभी वाहन चालको को संबंधित कार्यालय प्रमुख तत्काल भारमुक्त करेंगे तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैंक्स क0 0771-2510122 अथवा ई-मेल आई.डी. revenue.cg.@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें ।

स्थानांतरित वाहन चालक जारी आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करेंगे । निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश शर्मा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

.....02

21 JUL 2016

पृ.क्र. एफ 2-61/सात-2/2016
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2016

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
 2. निज सचिव, सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय,
 3. संबंधित संभागायुक्त, छ.ग.,
 4. संबंधित कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
 5. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
 6. सर्व संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ,
 7. राजस्व विभाग के वेबसाईट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु,
 8. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग